

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,
समस्त सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-314-32/ई/25-एक-विक्रम
महोदय,

कानपुर

दिनांक 23 अप्रैल 2010

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी संस्था से सम्बन्धित वांछित सूचना तैयार कर समस्त अमिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति सहित पूर्ण सूचना यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु-1 संस्था प्रधानाचार्य सत्रांत तक सेवा विस्तार सम्बन्धी समस्त प्रकरण यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराये ताकि सेवा विस्तार सम्बन्धी सत्र लाभ की सुविधा माह जून/जुलाई तक प्रदान की जा सके।

बिन्दु-2 संस्था में शिक्षकों/कर्मचारियों के विनियमितकरण सम्बन्धी प्रकरण-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम	नियुक्ति की तिथि एवं तत्समय की अर्हता	नियुक्ति के समय पदनाम एवं वेतनमान	विनियमितकरण न होने का कारण तथा शासन द्वारा पद के सृजन की स्थिति, यात न्यायालय से सम्बन्धित याद की स्थिति तथा संस्था प्रधानाचार्य की आस्था/संस्तुति
1	2	3	4	5

बिन्दु-3 संस्थाओं में पदोन्नति के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रारूप पर यथाशीघ्र निदेशालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमांक	पदोन्नति सम्बन्धी पदों का नाम	पदों की संख्या / सेक्टर नियमानुसार	सृजन सम्बन्धी शासनादेश	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बिन्दु-4 निदेशालय के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के अनुसार प्रबंध समितियों में शिक्षक प्रतिनिधि नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कस्तें हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को यथाशीघ्र अवगत करायें।

बिन्दु-5 दिनांक 01/04/06 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों हेतु नई पेशान/सीसीओएफए योजना सम्बन्धी विवरण-

क्रमांक	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	01/4/2006 से 31/3/2010 तक वित्तीय वर्षवार विवरण	मूलवेतन, मंहगाई वेतन / ग्रेड पे तथा मंहगाई भत्तों की 10 प्रतिशत अर्हदान की धनराशि
1	2	3	4	5

भवदीय,

(बी.आर. वर्मा)

सहायक निदेशक,

कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश।